पत्र संख्या-सी0/एल0एफ0-42/2013...4429.../जे0,

बिहार सरकार

विधि विभाग

प्रेषक

उज्ज्वल कुमार दुबे,
सरकार के संयुक्त सचिव, पटना।

सेवा में,

श्री रायशिवाजी नाथ,
अपर महाधिवक्ता सं0-3,
महाधिवक्ता कार्यालय, उच्च न्यायालय, पटना ।

पटना, दिनांक.14/06/13

विषयः- **श्री मोहम्मद ओबैदुल्लाह, स्थायी सलाहकार के सहायक अधिवक्ता के शुल्क विपत्र के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में निदेशानुसार कहना है कि महाधिवक्ता कार्यालय के पत्रांक-1224, दिनांक-24.04.2013, 1276, दिनांक-29.04.2013 एवं 1354, दिनांक-08.05.2013 द्वारा दिनांक-01.03.2011 से 30.07.2012 तक की अवधि का श्री मोहम्मद औबैदुल्लाह, स्थायी सलाहकार-21 के सहायक अधिवक्ता का शुल्क विपत्र प्राप्त हुआ है, जिसके क्रम में कहना है कि विधि विभागीय पत्रांक-4429जे0, दिनांक-11.09.2008 के कंडिका-VI के अनुसार कनीय अधिवक्ताओं का शुल्क विपत्र प्रत्येक वित्तीय वर्ष में छः माह के अंतराल पर नियमित रुप से महाधिवक्ता कार्यालय के माध्यम से विधि विभाग को परितार्थ भेजा जाये।

श्री मोहम्मद ओबैदुल्लाह, स्थायी सलाहकार-21 के सहायक अधिवक्ता की नियुक्ति विधि विभागीय पत्रांक-1612, दिनांक-21.03.2011 के द्वारा दिनांक-16.12.2010 के प्रभाव से किया गया था परन्तु प्राप्त शुल्क विपत्र के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इनके द्वारा दिनांक-01.08.2012 से 31.05.2013 तक का विपत्र अभी तक समर्पित नहीं किया गया है। इससे ज्ञात होता है कि विधि विभागीय पत्रांक-4429जे0, दिनांक-11.09.2008 के कंडिका-VI का पालन नहीं किया गया है।

अतः श्री मोहम्मद ओबैदुल्लाह से विधि विभागीय पत्रांक-4429जे0, दिनांक-11.09.2008 के कंडिका-VI के अनुसार (छाया प्रति संलग्न) विपत्र समर्पित नहीं करने संबंधित स्पष्टीकरण पूछ कर विधि विभाग को अवगत कराते हुए उक्त परिपत्र के आलोक में अवशेष अवधि का भी शुल्क विपत्र भेजी जाये। सुलभ प्रसंग हेतु विधि विभागीय पत्रांक-4429जे0, दिनांक-11.09.2008 की छाया प्रति इसके साथ संलग्न की जा रही है।

अनु0:-यथोवत ।

विश्वासभाजन
13/6/13
(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सरकार के संयुक्त सचिव बिहार।

ज्ञाप संख्या- ...4551.../**जे0,** **पटना दिनांक**.24.06.13...

प्रतिलिपिः- आई0टी0 मैनेजर, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20.6.13
(संजय कुमार)
सरकार के अवर सचिव, बिहार।